

स्थल सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी

परिषद की वाराणसी जोन के अन्तर्गत

वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर, बलिया एवं गोण्डा नगरों की सम्पत्तियों का

आवंटन तिथि 31.10.2012
समय प्रातः 10.30 बजे

आवंटन/नीलामी

लाट्टी द्वारा निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

भवन/भूखण्डों का प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित दर (प्र.व.मी./अनु. मू. फ्री होल्ड सहित (रु. लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
भरतपुरी योजना, गोण्डा				
आ. मू.-पी-1989, 1990	02	41.81	4704.00	0.10
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी				
आ. मू.-2ए/88	01	60.00	(विस्थापित कास्तकार को आवंटन हेतु प्रस्तावित)	

नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर				
आ. मू.-डी-10	01	232.00	8288.00	0.97
आ. मू.-डी-2/1	01	255.00	8288.00	1.06
झूसी योजना सं. - 3, इलाहाबाद				
दु.आ.वर्ग-6/137 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	24.95	7840.00	0.10
देव प्रयागम योजना, इलाहाबाद				
आ.मू.- 2, 3	02	288.00 प्रति नग	6720.00	0.97
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी				
आ.मू.- 3ए/27, 2सी/134	02	205, 123.79	8512.00, 9364.00	0.88, 0.58

नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

कबीर नगर योजना, वाराणसी				
दुकान - एस-1/11	01	7.17	10.70	1.07
हरपुर योजना, बलिया				
व्य. मू.- 2बी/सी.पी.-2	01	108.00	16352.00	1.77
महादेव झारखण्डी योजना, गोरखपुर				
दुकान सं.- एस-7	01	12.69	5.07	0.53
दुकान सं.- एस-10	01	8.53	3.41	0.35
शाहपुर योजना संख्या -2/3, गोरखपुर				
दुकान एल.जी.एफ.एस - 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11	08	9.633	7.11	0.72
दुकान -यू.जी.एफ. एस - 8, 9	02	9.633	4.64	0.47
दुकान -एल.जी.एफ. एस - 7	01	9.922	4.79	0.48
दुकान -एल. जी.एफ. एस - 1, 6, 7, 12	04	9.922	7.33	0.74

गोण्डा योजना में दिनांक 06.04.2011 से दिनांक 05.05.2011 तक खोले गये आवासीय भूखण्डों में (55.00 वर्ग मीटर से 129.09 वर्ग मीटर तक) आवेदकों को मध्य आवंटन लाट्टी द्वारा भूखण्डों का नम्बर (आरक्षण श्रेणी एवं संख्या) आवासीय भूमि दर रु. 4704/- प्रति वर्ग मी.

1625, 1658, 1663, 1664, 1669, 1683, 1716, 1793, 1799, 1821, 1845, 1870, 1872, 2059, 2061, 2062, 2169, 2226, 2229, 2237, 2238, 2192/1 (अनुसूचित जाति-22), 1874 (अ.जा. स्व.सं.सेनानी/एम.एल.ए./एम.पी.-01), 2054 (अ.जा. आर.जी.एस.-01), 2055 (अ.जा. बोर्ड कर्मचारी - 01), 1827 (अ.जा. भूतपूर्व/वर्तमान सैनिक - 01), 2228 (अ.जा. विकलांग - 01), 1819, 1828, 2064 (अ.जा. सीनियर सिटिजन - 03), 1660, 1871, 1803/1 (अनुसूचित जन जाति - 03), 1662, 1673, 1674, 1678, 1679, 1685, 1686, 1671, 1672, 1676, 1682, 1684, 1731, 1791, 1794, 1797, 1798, 1801, 1802, 1817, 1818, 1823, 1824, 1829 से 1831, 1833 से 1835, 1837, 1838, 1846, 1847, 1851, 1873, 1876, 2056, 2058, 2084 से 2086, 2090 से 2097, 2167, 2168, 2225, 2227, 2231, 2240, 2192/2 (सामान्य -51), 1668, 1670, 1841, 1850 (सामान्य स्व.सं.सेनानी/एम.एल.ए./एम.पी.-04), 1825, 1832, 2063, 2230 (सामान्य आर.जी.एस.-04), 1842 (सामान्य बोर्ड कर्मचारी - 01), 1844, 2165 (सामान्य भूतपूर्व / वर्तमान सैनिक - 02), 1667, 1853/1 (सामान्य विकलांग - 02), 1665, 1675, 1715, 1790, 1820, 2166, 2242 (सामान्य सीनियर सिटिजन - 07)

आवंटन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप :- (1) योजना/शहर का नाम..... (2) भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल..... (3) आवेदक का नाम (4) पिता/पति का नाम (5) पत्र व्यवहार का पता (6) दूरभाष/मोबाइल नं. (7) आरक्षण श्रेणी..... (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें), (8) संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण..... बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक .. (9) निर्गत कर्ता बैंक का नाम..... बचराशि..... आवेदक का हस्ताक्षर..... तिथि..... स्थान

सील्ड बिड का प्रारूप :- 1. योजना/शहर का नाम..... 2. सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल..... 3. आरक्षित मूल्य..... 4. ऑफर मूल्य/दर..... (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) 5. टोकन के रूप में बयान धनराशि रु..... 6. बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक..... 7. नाम..... 8. पिता /पति का नाम..... 9. आरक्षण श्रेणी..... (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें) 10. पत्र व्यवहार का पता..... 11. दूरभाष/मोबाइल नं. ईमेल आईडी..... 12. दिनांक..... स्थल..... नाम-पिता / पति का नाम-संस्थान / फर्म / कम्पनी का नाम..... पूरा पता.....

घोषणा पत्र का प्रारूप (आवेदन / सील्ड बिड एवं दोनों के साथ आवश्यक)

(1) मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। 'जहाँ है - जैसी है' के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। (2) मैंने पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम संबंधित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। (3) मैंने पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की 2010-11 की समस्त स्क्रोटो से आय रु. से अधिक नहीं है। (4) मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को सभी अध्यावधिक नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि..... स्थान

नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

सम्पत्तियों का प्रकार/सं.	सं.	क्षेत्रफल (व. मी.)	आरक्षित दर /अनु. मू. फ्री होल्ड सहित (प्रति वर्ग मी)	एफ. ए. आर.	प्राउण्ड कवरेज	अधि. ऊंचाई (मी0 मं.)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी							
कम्युनिटी सेक्टर -3ए-2 (लीज पर)	01	3053.68	8512.00				26.00
कम्युनिटी फेंसिलिटी-1 (लीज पर)	01	1031.19	12768.00				13.17
कम्युनिटी फेंसिलिटी-2 (लीज पर)	01	1480.00	12768.00				18.90
अवधपुरी योजना, फैजाबाद							
व्यवसायिक भूखण्ड -सी.पी.-6 ए, 7	02	368.50	9408.00				3.47
व्यवसायिक भूखण्ड -सी.पी.-6 बी	01	243.81	9408.00				2.30
झूसी योजना सं. -2, इलाहाबाद							
दुकान संख्या - एस-2/12	01	15.82	7.83				0.79
दुकान संख्या - एस-2/13, 14	02	9.60	4.85				0.49
दुकान संख्या - एस-2/33	01	13.59	4.35				0.44
दुकान संख्या - एस-2/11	01	16.56	8.35				0.84
दुकान संख्या - एस-2/10	01	14.32	7.25				0.73
शाहपुर योजना सं. -1, गोरखपुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-1	01	81.00	19488.00				1.58
रुस्तमपुर तिवारीपुर योजना, गोरखपुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-1	01	66.33	16576.00				1.10
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-2	01	64.64	16576.00				1.07
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-3	01	71.74	16576.00				1.20
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-4	01	80.89	16576.00				1.34
डोमरौली योजना, मिर्जापुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-105	01	174.00	12320.00	1.5	50	15 मी.	2.15
व्यवसायिक भूखण्ड-110	01	144.00	12320.00	1.5	50	15 मी.	1.78
व्यवसायिक भूखण्ड-114	01	289.45	12320.00	1.5	50	15 मी.	3.57
दुकान संख्या - एस-2, 3	02	9.39	3.70				0.37
दुकान संख्या - एस-6	01	15.15	5.94				0.60
दुकान संख्या - एस-7	01	18.71	7.33				0.74
दुकान संख्या - एस-10	01	6.667	4.45				0.45
दुकान संख्या - एस-11	01	8.667	5.78				0.58

नियम व शर्तें :- 1. आवेदन/सील्ड बिड फार्म सम्बंधित शहर/योजना के स.प्र. कार्यालय/ जोन कार्यालय से भी रु. 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 2. सील्ड बिड/ऑफर अंकित करते हुये रु. 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील्ड बिड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकनमनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्यदिन) तक सम्बंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिये। 3. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड सम्बंधित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है - **कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, निम्न कम्प्लेक्स, जवाहर नगर (भैरपुर), वाराणसी (सभी नगरों हेतु) वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर हेतु - स.प्र. कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी, गोरखपुर हेतु - स.प्र. कार्यालय, सूरजकुण्ड, गोरखपुर। इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ हेतु - स.प्र. कार्यालय, 50/6, अलोपी बाग, इलाहाबाद। फैजाबाद हेतु - स.प्र. कार्यालय, अंगूरीबाग, फैजाबाद। गोण्डा हेतु - सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा।** 4. सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 5. आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनदेश/परिषद के प्रदेशन सन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाट्टी पद्धति से किया जायेगा। किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 6. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/चे-आर्डर जो 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' के पक्ष में सम्बंधित नगर में भुगतान योग्य देय होगा, के साथ, निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र दिनांक **30.10.2012** तथा सील्ड बिड नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व तक (कार्य दिनांक) में सांय 5.00 बजे तक उपरोक्त पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 7. अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 8. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है, जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन/आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। 9. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टॉप पेपर पर अनुबंध/विक्रय विलेख उपरान्त किया जायेगा। 10. आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये। 11. एक आवेदक एक से अधिक भवन/भूखण्ड हेतु आवेदन की स्थिति में अंतिम आवंटन हेतु एक ही भवन/भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेगा। 12. सील्ड बिड देते समय लिफाफे के ऊपर योजना /सम्पत्ति संख्या का उल्लेख न होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा। 13. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बंधित स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर Public Notices के अन्तर्गत देखी जा सकती हैं। 14. कार्ण की सम्पत्तियों पर परिषद नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। 15. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। 16. आरक्षण शासनदेश/परिषदादेशों के अनुसार देय होगा। **आवास आयुक्त**

परिषद से संबंधित समस्या के निराकरण हेतु जन सुविधा केन्द्र
की स्थापना की गयी है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।
1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Web : <http://www.upavp.com> E-mail : upavp@sanchar.net.in